वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

****

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता(NOC)/2013/542
दिनांक : 11-4-2013

सेवा में,
प्रबन्धक,
हीरा सिंह यादव महाविद्यालय, गोरारी विक्रमपुर,
गाजीपुर।

विषय :–उच्च शिक्षाके क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों/संस्थाओं/संकायों की स्थापना हेतु स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, एवं अर्थशास्त्र विषयों को अनापत्ति/निर्बाधन (क्लियरेंस) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–03 दिनांक–17.12.2012 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित हीरा सिंह यादव महाविद्यालय, गोरारी विक्रमपुर, गाजीपुर को स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, एवं अर्थशास्त्र विषयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. प्रस्तावित हीरा सिंह यादव महाविद्यालय, गोरारी विक्रमपुर, गाजीपुर सोसायटी शिवशक्ति फाउण्डेशन महरूमपुर सैदपुर गाजीपुर द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग संस्था के प्रबन्ध तन्त्र को प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2– 2000–2(166) 2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन/संचालित विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार/सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
7. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. उप जिलाधिकारी सैदपुर गाजीपुर द्वारा जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र (ग्राम गोरारी त0 सैदपुर जिला गाजीपुर गाटा संख्या–215 ठस0 रकबा 1.0120 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेंस) स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. यह अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

(II) अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के आदेश दिनांक–06.04.2013 के क्रम में संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. श्री सुरेन्द्र दत्त सिंह, डिप्टी कलेक्टर सैदपुर, गाजीपुर ।
6. प्रो0 मुन्नी लाल विश्वकर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा काशी विद्यापीठ वाराणसी।
7. डा0 लाल साहब सिंह, पूर्व प्राचार्य, सल्तनत बहादुर पी0जी0 कालेज, बदलापुर जौनपुर।

11/4

कुलसचिव